संभावनाओं से भरपूर पूर्वोत्तर भारत

–एम.के. श्रीवास्तव

पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के कल्याण के लिए करना है तो अनुकूल वातावरण प्रदान करना पहली शर्त है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिए हमें विकास तथा बदलाव के अगले दौर की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भी देश से इसका आह्वान करते हुए कहा है कि धीरे–धीरे बदलाव का समय खत्म हो गया है और अब हमें निर्णायक तथा कायाकल्प करने वाले परिवर्तन के दौर में जाना होगा।

पूर्वोत्तर की उन्नति से भारत की उन्नति

भारत के उत्तरी और पूर्वी छोरों पर स्थित आठ राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को पूर्वोत्तर भारत/क्षेत्र (एनईआई/एनईआर) अथवा सात बहनें और एक भाई (सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर) कहा जाता है। इस क्षेत्र के राज्यों के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र को नया नाम 'अष्टलक्ष्मी' दिया है और कल्पना की है कि "यह भारत के भाग्य को बदलने की 'अष्टलक्ष्मी' है।" प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के 65वें पूर्ण सत्र में कहा, "...मुझे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकसित नहीं होने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुझे इस बात का भी यकीन है कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों का विकास हो।"

छिपी हुई संभावनाएं

यह क्षेत्र 2,63,179 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत है और देश की कुल जनसंख्या का करीब 3.76 प्रतिशत हिस्सा यहीं रहता है (एनसीईआरटी – 2017)। कुल क्षेत्रफल में से 98 प्रतिशत हिस्से में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास है। भाषा, जातियों, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों के बीच और प्रत्येक राज्य के भीतर भी बहुत अधिक अंतर है। देश में अनुसूचित 635 जनजातीय समूहों में से 200 से अधिक इस क्षेत्र में रहते हैं और राज्यों में प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी संस्कृति, परंपरा तथा शासन प्रणाली है। इस तरह यह क्षेत्र विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है।

यह क्षेत्र अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य, वनस्पतियों एवं पशुओं की जैव विविधता, प्रचुर मात्रा में खनिज, जल एवं वन संसाधन तथा पर्यटन की संभावना से भरपूर है। लेकिन अपनी स्थिति एवं भू–भाग के कारण शेष देश से अलग–थलग होने, पलायन, कम निवेश, कम राजस्व सृजन, उद्योगों के कम प्रसार तथा पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक–राजनीतिक उपद्रव होने जैसे कई पहलुओं ने इन

तालिका–1

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	कुल परिवार	कम से कम एक अपवाद वाले परिवार	शामिल होने वाले कुल परिवार	कुल अभावग्रस्त परिवार
अरुणाचल प्रदेश	201842	118987	82855	72937
असम	5743835	1689138	4054697	2892859
मणिपुर	448163	147003	301160	236653
मिजोरम	111626	44437	67189	66499
मेघालय	485897	151711	334186	327506
नगालैंड	284310	97323	186987	182441
त्रिपुरा	697062	165435	531627	361664
सिक्किम	88723	39442	49281	33480
योग	**179787342**	**70754027**	**109033315**	**87264055**

(स्रोतः लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 दिनांक – 09.08.2018)

राज्यों की प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संभावनाओं का ठीक से दोहन नहीं होने दिया है।

क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और गुजारे के लिए खेती, बागवानी, हथकरघा और वन पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। क्षेत्र अभी तक संसाधनों की अकूत संभावनाओं का उपयोग अपने निवासियों के फायदे के लिए नहीं कर सका है।

सबका साथ सबका विकासः विकास का ढांचा

यह सच है कि क्षेत्र ने गरीबी घटाने और गरिमामयी मानव जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मोर्चों पर कुछ प्रगति की है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में अब भी यह चिंता का विषय है। राज्य विकास के स्तर में भी बराबर नहीं हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि घाटी तथा पहाड़ों के बीच गरीबी की प्रकृति काफी अलग है। लेकिन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आबादी आदिवासी है और आदिवासी समाजों की बुनियाद समतावादी होने के कारण भारत के शेष हिस्सों की तरह यहां दीन–हीन दरिद्रता नहीं दिखती। मगर इस सुंदर क्षेत्र के निवासी विकास के लाभों से वंचित ही हैं।

2011 में हुई सामाजिक–आर्थिक तथा जाति जनगणना (एसईसीसी) में गरीबी के बहुआयामी पहलुओं को दर्ज किया गया है और कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए लाभार्थी चुनने हेतु अभाव सूचकांक बनाया गया है। तालिका–1 में अभावग्रस्त परिवारों की संख्या दिखाई गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

जिस ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य हाथ से अकुशल काम करने के लिए तैयार हों, उस परिवार को वित्तवर्ष के दौरान 100 दिनों के लिए पारिश्रमिक वाला काम देने की गारंटी देकर रोजगार सृजन के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आजीविका की बेहतर सुरक्षा के लिए मनरेगा लागू किया गया। मनरेगा के तीन प्रमुख पक्ष हैं– रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान देते हुए संपत्तियों का सृजन और कृषि गतिविधियां। यह मांग–आधारित कार्यक्रम है, जो रोजगार की रणनीति एवं कार्यों की योजना बनाने के लिए नीचे से ऊपर तक जाने का तरीका अपनाता है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों, असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में कामों की योजना तथा प्राथमिकता ग्रामसभा स्तर पर तय की जाती है और उसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करती है। इन राज्यों और क्षेत्रों में समुदाय–आधारित परंपरा और स्थानीय स्वशासन होता है। लोकसभा के 02.08.2018 के तारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर से संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर में परिवारों को मिले रोजगार की स्थिति इस प्रकार है –

पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार पाने वाले परिवारों हेतु तालिका–2 से रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम है और कई राज्यों में तो रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2016–17 से भी कम है। उचित योजना एवं क्रियान्वयन नहीं होना, कार्यक्रम से होने वाले लाभों की जानकारी नहीं होना, निष्प्रभावी पंचायती राज संस्था, पहाड़ी भू–भाग, स्वीकृत कार्य यहां के अनुकूल नहीं होना, राज्यों का आकार एवं आबादी का घनत्व इसके कारण हैं।

मनरेगा की अनुसूची–1 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कृषि कार्यों में सहायता को केंद्र में रखते हुए टिकाऊ संपत्तियों

ग्राफ–1 : अब तक निर्मित परिसंपत्तियां

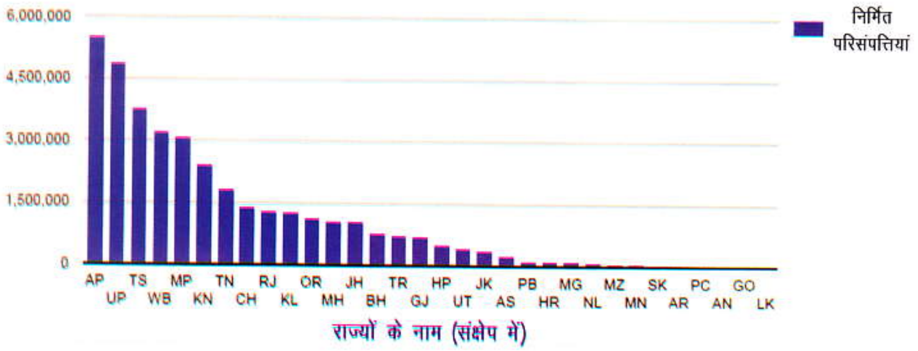

तालिका–2

राज्य	रोजगार पाने वाले परिवार (लाख में)	
	2016–17	2017–18
अरुणाचल प्रदेश	2.03	1.42
असम	15.71	16.86
मणिपुर	5.16	4.91
मिजोरम	4.15	4.27
मेघालय	1.89	1.91
नगालैंड	4.18	4.10
त्रिपुरा	0.68	0.64
सिक्किम	5.77	5.23
योग	**512.22**	**511.82**

के सृजन के लिए कार्यों की सूची से संबंधित है। इसमें निश्चित बुनियादी ढांचा तैयार कर एनआरएलएम के तहत स्वयंसहायता समूहों (एसजीएच) की मदद करने के प्रावधान भी हैं। ग्रामीण संपर्क कार्य का एक अन्य प्रमुख आयाम है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है और ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके तैयार किए हैं। ग्राफ–1 दिखाता है कि पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र से बाहर के राज्यों से पिछड़ रहे हैं। टिकाऊ परिसंपत्तियां तैयार करने के मामले में भी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य पहाड़ी राज्यों से कमतर रहा है।

मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने के लिए राज्यों को किसी भी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत लागत के ऐसे कार्य करने की सलाह दी जाती है, जिनसे वे उत्पादक परिसंपत्तियां तैयार हों, जो सीधे कृषि से अथवा कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हों। तालिका–2 में रोजगार पाने वाले परिवार और तालिका–3 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर होने वाले खर्च का राज्यवार प्रतिशत में दिखाया गया है।

तालिका–3 से पता चलता है कि सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और नगालैंड ने सभी सलाहें मानी हैं और अपने–अपने यहां कृषि आधारित परिसंपत्तियां तैयार करने के लिए खर्च करने को अधिक महत्व दिया। वास्तव में व्यय प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जब अन्य राज्य भी मनरेगा की मदद से अपने–अपने यहां कृषि कार्यों को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

योजना के अंतर्गत 19.07.2018 तक कुल 42.56 लाख मकान बनाए गए हैं, जबकि मार्च, 2019 तक एक करोड़ बनाने का लक्ष्य है। राज्यों को ये लक्ष्य एसईसीसी, 2011 जैसे मकानों की कमी के मानकों के आधार पर दिए गए। लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में प्रति मकान 1.20 लाख रुपये तथा पहाड़ी, कठिन एवं एकीकृत कार्ययोजना वाले इलाकों में 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस सहायता के अतिरिक्त उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 90–95 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं।

पीएमएवाई–जी के तहत आवंटित लक्ष्य और निर्मित मकानों के बारे में तालिका–4 बताती है कि पूर्वोत्तर राज्यों का लक्ष्य प्राप्त

तालिका–3

वित्त वर्ष 2017–18 में 27.03.2018 तक कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर खर्च का प्रतिशत	
राज्य	प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	48.12
असम	50.28
मणिपुर	58.58
मिजोरम	54.88
मेघालय	71.23
नगालैंड	62.79
त्रिपुरा	81.91
सिक्किम	71.51
योग	**69.1**

(स्रोतः लोकसभा में दिनांक 05.04.2018 का अतारांकित प्रश्न संख्या 6309)

तालिका–4

पीएमएवाई–जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य, निर्मित मकान

राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	निर्मित मकान	लक्ष्य प्रतिशत*	निर्माणाधीन मकान
अरुणाचल प्रदेश	11221	0	0.00	11221
असम	259814	38594	14.85	221220
मणिपुर	9740	114	1.17	9626
मिजोरम	20745	395	1.90	20350
मेघालय	6600	1507	22.83	5093
नगालैंड	8481	0	0.00	8481
त्रिपुरा	1957	528	26.98	1429
सिक्किम	24989	5314	21.27	19675
योग	**9989825**	**4255873**	42.60	**5733952**

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 19.07.2018 तक के आवासों के आंकड़े, (स्रोतः 23.07.2018 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न)

तालिका–5

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जून, 2018 तक मंजूर और निर्मित सड़कों की लंबाई

राज्य का नाम	मंजूर की गई सड़क की लंबाई (किमी)	बन चुकी सड़क की लंबाई (किमी)	निर्माण प्रतिशत*
अरुणाचल प्रदेश	8885.34	6728.04	75.72
असम	27,358.74	17,815.45	65.12
मणिपुर	9,640.47	6,294.04	65.29
मिजोरम	2,731.33	1,711.64	62.67
मेघालय	4,167.98	2,945.78	70.68
नगालैंड	3,893.37	3,530.37	90.68
त्रिपुरा	4,794.50	3,673.03	76.61
सिक्किम	4,952.47	4,175.02	84.30
योग	**665,737.94**	**556,389.37**	83.57

करने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत (42.60) की तुलना में बहुत कम है। वे तो राष्ट्रीय औसत के आसपास भी नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड) का लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत 'शून्य' ही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क संपर्क को विकास की जीवनरेखा कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में संपर्क विशेषकर ग्रामीण संपर्क बहुत खराब हैं और बनी हुई सड़कों खासतौर पर ग्रामीण सड़कों को भूस्खलन तथा पहाड़ी भू–भाग होने के कारण आने वाली अन्य आपदाओं का खतरा बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केंद्र सरकार की सफल योजना है। इस योजना के तहत मुख्य नेटवर्क से नहीं जुड़े स्थान को एक लेन वाली सभी मौसमों में काम करने वाली सड़क से जोड़ते हुए ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए एकबारगी विशेष सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों में संपर्कविहीन स्थान के लिए अर्हता की शर्त है 250 से अधिक की आबादी होना और मैदानों में अर्हता की शर्त है 500 से अधिक आबादी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का राज्यवार ब्यौरा तालिका–5 में है।

तालिका बताती है कि आरंभ से जून, 2018 तक 6,65,737.94 किलोमीटर सड़क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से राष्ट्रीय–स्तर पर 183,095.37 करोड़ रुपये खर्च कर 5,56,389.37 किमी. सड़क पूरी की जा चुकी है। पूर्वोत्तर राज्यों का राज्यवार ब्यौरा बताता है कि सिक्किम में सड़क पूरी होने का प्रतिशत 91 प्रतिशत है, जिसके बाद त्रिपुरा (84.30 प्रतिशत) आता है। शेष छह राज्यों में सड़क पूरी होने की दर राष्ट्रीय औसत (83.57 प्रतिशत) से कम है। इन राज्यों ने ग्रामीण संपर्क प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

सरकार के कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) लागू किया है। पिछले तीन वर्षों में आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का राज्यवार

तालिका–6

आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

राज्य	2016–2017			2017–2018		
	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस
अरुणाचल प्रदेश	29290	3565	1284	29290	3565	1284
असम	707927	137463	18916	707927	137463	18916
मणिपुर	56045	8043	1007	56045	8043	1007
मिजोरम	77980	8498	969	77980	8498	969
मेघालय	25251	1925	400	25251	1925	400
नगालैंड	44530	3720	960	44530	3720	960
त्रिपुरा	16418	1614	817	16418	1614	817
सिक्किम	141510	17927	2144	141510	17927	2144
योग	**1098951**	**182755**	**26497**	**1098951**	**182755**	**26497**
कुल योग	**21396057**	**5726184**	**701623**	**21245655**	**5846459**	**712358**

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)

विवरण तालिका–6 दिया गया है।

आजीविका सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए भारत सरकार देशभर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) क्रियान्वित कर रही है ताकि निर्धन ग्रामीण महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही उन्हें तब तक आर्थिक गतिविधियों से जोड़े रखने के लिए सहायता दी जाती है, जब तक उनकी आय में ठीकठाक वृद्धि न हो जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके और वे नितांत गरीबी से बाहर आ सकें। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार (लगभग 9 करोड़) से कम से कम एक महिला सदस्य को निश्चित समय के भीतर महिला स्वयंसहायता समूहों और उनके महासंघों में शामिल किया जाए। अभी तक शामिल किए गए कुल परिवारों तथा सहायता प्राप्त एसएचजी की संख्या तालिका–7 में दी गई है।

तालिका बताती है कि शामिल किए गए परिवारों तथा सहायता प्राप्त समूहों में बहुत अंतर है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों के प्रदर्शन का प्रश्न है, मिली–जुली तस्वीर उभरती है। अधिकतर राज्यों ने राष्ट्रीय औसत (8.87 प्रतिशत) से बेहतर प्रदर्शन किया है। केवल मणिपुर राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

तालिका–7

शामिल किए गए कुल परिवार तथा सहायता प्राप्त एसएचजी की संख्या

राज्य	शामिल किए गए परिवार (कुल प्रगति)	सहायता प्राप्त एसएचजी (कुल प्रगति)	उपलब्धि प्रतिशत*
अरुणाचल प्रदेश	1754627	167775	9.56
असम	14086	1580	11.22
मणिपुर	17291	1506	8.71
मिजोरम	51857	5060	9.76
मेघालय	37923	3983	10.50
नगालैंड	42140	4554	10.81
त्रिपुरा	17299	1693	9.79
सिक्किम	51224	5672	11.07
योग	52567122	4664593	8.87

(स्रोतः 30.07.2018 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न)
*लेखक द्वारा की गई गणना

तालिका–8

अक्टूबर, 2017 तक कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की संख्या

राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	काम पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	काम या नौकरी का प्रतिशत *
असम	8980	6426	71.56
सिक्किम	304	275	90.46
त्रिपुरा	1140	274	24.04
योग	**385663**	**202256**	**52.44**

कौशल विकास के जरिए रोजगार को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) आरंभ की गई है, जो एनआरएलएम के अंतर्गत निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए काम यानी प्लेसमेंट दिलाने वाला कौशल विकास कार्यक्रम है।

डीडीयू–जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण एवं नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या तालिका–8 बताती है कि अभी 52 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है, जबकि लक्ष्य 70 प्रतिशत का है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी का प्रदर्शन अच्छा है। अन्य राज्यों में अभी कार्यक्रम क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चल ही रही है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र वास्तव में अद्भुत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के राज्य अपेक्षाकृत कठिन एवं विपन्न क्षेत्र में तथा जटिल एवं विविधता भरे समाज में बदलाव एवं विकास की तस्वीर पेश करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज़न 2020 में कहा गया है कि क्षेत्र के लोगों का शेष देश के लोगों की तरह अपने लिए न सही अपनी संतानों के लिए संपन्नता एवं सुख प्राप्त करने का सपना है। इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए क्षेत्र में तथा बाहर रहने वाले लोगों की मानसिकता समेत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के कल्याण के लिए करना है तो अनुकूल वातावरण प्रदान करना पहली शर्त है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिए हमें विकास तथा बदलाव के अगले दौर की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भी देश से इसका आह्वान करते हुए कहा है कि धीरे–धीरे बदलाव का समय खत्म हो गया है और अब हमें निर्णायक तथा कायाकल्प करने वाले परिवर्तन के दौर में जाना होगा।

(लेखक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई–मेल : mkshrivastava.nird@gov.in